कार्यालय कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, रायपुर (छ0ग0)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़

क्रमांक / /MGNREGA/16/2010–11 रायपुर, दिनांक

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पत्र क. 698/वि–3/एनआरजीए/36/10 रायपुर दिनांक 25.02.2010 तथा पत्र क. 1174/वि–3/एमजीएनआरजीए/167/2010,दिनांक 13.15.2010 के निर्देशानुसार जिला स्तर एवं जनपद पंचायत स्तर पर अधोवर्णित पदों व उनके सम्मुख दर्शाये विवरण अनुसार एक वर्ष की संविदा 28.02.2012 तक (निश्चित वेतन) नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं, विशेष योग्यता सहित वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से **दिनांक 25.04.2011 को सायं 5.30 बजे तक** सम्पूर्ण योग्यता एवं अनुभव/अनापत्ति आदि प्रमाण पत्रो सहित आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते है –

क.	पद का नाम	वेतनमान	पदो की सं.	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि.व
1.	**सहायक ग्रेड–2** जिला पंचायत हेतु	**8080/– एकमुश्त**	**2**	**1**	**1**	**0**	**0**
2.	**डाटा एन्ट्री ऑपरेटर** जिला व जनपद पंचायत हेतु	**8080/– एकमुश्त**	**11**	**4**	**2**	**3**	**2**

नियम व शर्तें :–

शैक्षणिक योग्यता :–

सहायक ग्रेड 2 –
1. प्रथम श्रेणी में स्नातक।
2. कम्प्यूटर का ज्ञान आवश्यक।

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर –
1. कक्षा 12 वीं(10+2) बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण अथवा कक्षा 10 वीं बोर्ड उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण।
2. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा।
3. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति।

चयन प्रकिया :–

सहायक ग्रेड 2 –
1. हायर सेकेण्डरी तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशतों के औसत पर –80
2. एमजीएनआरईजीए में सामान पद पर एक वर्ष का अनुभव – 10
3. कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर–10

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर –
1. कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा से प्राप्त मेरिट अंक के आधार पर (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य) – 90
2. एनआरईजीए में समान पद एक वर्ष का अनुभव – 10

1. छ0ग0 शासन के नियमानुसार विकलांग, महिला एवं भू.पू.सैनिकों के लिये उक्त रिक्त पदों में समस्त आरक्षण दिया जावेगा।
2. संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी संविदा नियुक्ति नियम 2004 में निहित शर्तो के अनुसार की जावेगी ।
3. संविदा नियुक्ति 28 फरवरी 2012 तक के लिये होगी । तत्पश्चात् कार्य योग्यता , कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर पुनः एक वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकती है ।
4. संविदा नियुक्ति पर की गई नियुक्ति पूर्णताः अस्थाई एवं बिना कारण बताएं कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है ।
5. सेवा समाप्ति के बाद कर्मियों को किसी भी प्रकार की पेंशन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी ।
6. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है । सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
7. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2011 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष । अजा/अजजा/पि.वर्ग एवं महिला को राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुरूप आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी।
8. अजा/अजजा/पि.वर्ग के जाति की पुष्टि में आवेदक को प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।
9. आवेदन निर्धारित प्रारुप में स्वीकार्य होगें। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची की छायाप्रति जो छ.ग. शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो संलग्न करें । वांछित प्रमाण पत्र नहीं होने पर आवेदन अमान्य किया जावेगा ।

10. आवेदन पत्र में पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चिपकाना अनिवार्य है।
11. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई सूचना नहीं दी जायेगी एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
12. आवेदन पत्र सीधे स्वीकार नहीं किये जाएंगे । पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से प्राप्त आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जाएंगे ।
13. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची आदि की सत्यापित छायाप्रति सहित उम्मीदवार नीचे दिये जा रहे प्रारूप में आवेदन करे, जो **दिनांक 25.04.2011 के सायं 5:30 बजे** तक पंजीकृत डाक द्वारा ''**मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर**'' के पते पर प्राप्त हो जाना चाहिए । लिफाफे पर आवेदित पद का नाम एवं वर्ग आवश्यक रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए । निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे ।
14. नियोक्ता के साथ करार पत्र (संविदा पत्र) निष्पादित करना होगा ।
15. प्राप्त आवेदनों के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।
16. पदों की संख्या घट/बढ सकती है।
17. विस्तृत जानकारी जिला पंचायत रायपुर के सूचना पटल में अवलोकन किया जा सकता ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,रायपुर

(महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना– छत्तीसगढ़)
आवेदन पत्र का प्रारूप
आवेदन पत्र

अभिप्रमाणित नवीनतम फोटो चिपकाएं

प्रति,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत – रायपुर

1. आवेदित पद का नाम : ....
2. आवेदक का नाम : ....
3. पिता/पति का नाम : ....
4. वर्ग (अना./अजा/अजजा/अपिवर्ग) : ....
5. लिंग (पुरूष/महिला) : ....
6. जन्म तिथि : ....
7. आयु (01.01.2011 के अनुसार) : वर्ष ———— माह ———— दिन ———
8. स्थायी पता : ....
....
....
9. पत्र व्यवहार का पता : ....
....
....
10. दूरभाष क्रमांक (यदि कोई हो) : ....
11. शैक्षणिक योग्यता :

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा	वर्ष	परीक्षा परिणाम				बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम
			पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी	

12 अनुभव– संस्था का नाम ———————————— पद का नाम ————————

अनुभव की अवधि –	
अनुभव का कार्यक्षेत्र –	

13. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन ....
रोजगार कार्यालय का नाम ....

टीप – जाति, मूलनिवासी, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता अन्य चाही गई योग्यता अनुभव/अनापत्ति, व्यावसायिक योग्यता, प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रो की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ।

घोषणा पत्र

मै घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सभी जानकारी मेरे विवेक से पूर्णतः सत्य है । इसमें से कोई जानकारी गलत/असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा , तथा मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी । इन परिस्थितियों में नियुक्तिकर्ता अधिकारी को बिना बताये मेरे आवेदन/चयन /नियुक्ति को निरस्त करने अधिकार होगा एवं उसका निर्णय मुझे मान्य होगा ।

स्थान ------

दिनांक ------

आवेदक के हस्ताक्षर

(आवेदक क पूरा नाम)

संलग्न प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की सूची

1. ----------------
2. ----------------
3. ----------------